


333



## न्यायालय में – श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 3563- II/12

श्रीमती सुशीला पत्नी लाल जी ब्रा.  
निवासी ग्राम निमिहा थाना देवलौद  
तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)  
..... आवेदिका

बनाम

1. श्री मोतीलाल पिता सहदेव ब्रा.  
निवासी ग्राम निमिहा थाना देवलौद  
तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान तहसीलदार ब्यौहारी के  
रा.प्र.कं. 90/अ-12/11X12 पारित आदेश  
दिनांक 6.9.12 भूमि ग्राम निमिहा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959

माननीय महोदय,

विनय पूर्वक निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है –

- 1- यह कि, ग्राम निमिहा जनरल नम्बर 337 पटवारी हल्का चौरी नम्बर 51 रा.नि.  
म. बुडबा तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) स्थित आराजी खसरा नम्बर  
105 रकवा 2.00 ऐ. यानी 0.809 हे., 106/2 रकवा 0.75ऐ. यानी 0.304हे,  
106/1/2 रकवा 0.151 हे. भूमि प्रार्थिया आवेदिका के पटटे कब्जे दखल की

रामचंद्रन पाण्डेय  
रा.प्र.कं. 90/अ-12/11X12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3563-दो/2012

जिला शहडोल

सुशीला विरूद्ध मोतीलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार ब्यौहरी के प्रकरण क्रमांक 90/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06-09-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहरी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहरी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 21/02/2019</p>